under suspension, following the accident, pending detailed enquiry.

Immediate steps have been initiated to further intensify safety procedures throughout the plant. The production in the Steel Melting Shop resumed at 1640 hours on 23-7-94. Situation in the plant is normal. The Trade Unions as well as Officer's Association are co-operating in maintaining peace and normalcy.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): There is one name for seeking clarifications—Shri Ram Gopal Yadav. He is not present in the House. So, we will go to the next item.

Now, clarifications on the Statement made by the Minister regarding the flood situation in the country. Now, Shri S. K. T. Ramachandran to seek clarifications. We have other names also from the Members of the Opposition who are not in the House now.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

Flood situation in the country

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, natural calamities in the form of floods and in other ways have become a periodical occurrence. So, the aftermath of these calamities are huge losses in the form of human deaths and also losses of properties and damages to the infra-structure and so on. As this is a regular occurrence, the Government should give serious thought to the question of constituting a revolving fund to meet emergency requirements. Last time also, we insisted on this. At that time, the Minister assured us that the Government would give some thought to it. But so far as I know, no step has been taken to constitute such a revolving fund which would enable us to take up relief operations immediately.

Sir, we are having the data in regard to rains for the last sixty or hundred years. We have data concerning rains, wind direction, wind speed, etc. The question is whether, with all this data available with us, we could take up research to anticipate such calamities. Of course, I do not think it is very easy because, here we are up against the mighty Nature. Though we are in a small planet, namely, Earth, the Earth is being acted upon by forces from the far-off stars. Therefore, it is not easy to anticipate such calamities on the basis of the data we have. Though it seems to me that it is unpredictable, at least, to some extent, such research would help us. I would like to know from the hon. Minister whether they have any such research centres.

To sum up, I would like to know, firstly, what steps the Government has taken in regard to setting up a revolving fund to meet such calamities. Secondly, I would like to know whether there is any research centre existing already for the purpose of analysing the data relating to rains, wind and such things so that we could foresee or predict a natural calamity.

Thank you.

श्री मल चन्द मीणा (राजस्थान): सभापति महोदय, पिछले हफ्ते मंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों के संबंध में अपना वक्तव्य दिया । जब कभी भी वर्षाकालीन ऋतु आती है तो हिन्दुस्तान का इतिहास रहा है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रदेश के अन्दर बाढ़ जरूर आती है । आजादी के 47–48 साल होने के बावजूद भी हम इस देश के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाये कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से देश के लोगों को बचाया जा सके, उसको सुरक्षा दी जा सके । अब की बार प्रधानमंत्री जी को हमें बधाई देनी चाहिये, धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से होने वाली मृत्यु या बाढ़ से होने वाले नुकसान के लिये एक्ट्रा अनुदान देने की इस बार घोषणा की है, इसके लिये तो हमें प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी को बधाई देनी चाहिये । लेकिन यह जो

वर्षा का अनुमान मौसम विभाग का है, इसके जितने भी अनुमान अब तक आये हैं, उनका उल्टा परिणाम निकला है। स्थिति यह होती है कि जिस एरिया में गत वर्ष बाढ़ आई, अब की बार वह एरिया चेंज हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे यू०पी० और बिहार का बार्डर नदी में बाढ़ आने से हर बार बदलता रहता है तो कुदरत की देन ऐसी है कि बाढ़ की समस्या भी बदलती रहती है। जिस एरिया में बाढ़ आती है उस एरिया में नहीं आई और जिस एरिया में सूखा पड़ता है उसमें बाढ़ आई। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर जिलों में जहां सूखा एरिया माना जाता है उसमें गत वर्ष और इस साल भी भंयकर बाढ़ आई जिससे कई लोगों की जाने गई। जब हम यह सोचते थे कि राजस्थान के पुर्वी और दक्षिणी एरिया में ज्यादा वर्षा हुआ करती है, वहां बाढ़ के इलाज के लिये ऐसे साधनों का उपयोग किया गया जिससे बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य है, प्रकृति की देन है कि जिस एरिया में सुरक्षा की व्यवस्था की गई वहां बाढ़ नहीं आई और जिस एरिया में सूखा पड़ता था वहां बाढ़ आ गई। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं जिससे कि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके।

श्रीमन, इस वर्ष विशेष रूप से यह बात सामने आई है कि इस वर्ष ज्यादा वर्षा हुई है जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी कहा है। तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि पश्चिमी बंगाल, सिक्कम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कौन कौन से ऐरिये हैं जो पहले कभी बाढ़ की चपेट में नहीं आये हैं और अब की बार उनमें बाढ़ आई है। कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने माल की हानि हुई है मानसून सीजन के अन्दर कुल कितने लोगों की जाने गई हैं।

श्रीमन, कुछ राज्यों से बाढ़ पीड़ित लोगों के बारे में जो स्थिति का जायजा लेना था उनकी रिपोर्टें नहीं आई हैं। इसके पीछे उन राज्यों से रिपोर्ट नहीं आने का क्या कारण है वह भी बताने की कृपा करें। आपने अपने केन्द्रीय राहत आयुक्त की एक समिति बनाई है। वह राज्य जहां से रिपोर्टें नहीं आई हैं क्या राहत से बाहर हो गये हैं या बाढ़ की समीक्षा बाद में करने के बाद उसी तरह से उन राज्यों को भी अनुदान मिलेगा, यह भी बतायें।

श्रीमन्, मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था, अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई और खाने पीने तथा दवाइयों का इंतजाम किया गया है। साथ ही बाढ़ आने के बाद उस एरिया में जो अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिये आपने जो बताया कि उनको दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, ये बहुत कम है। क्या बाढ़ आने के एक महीने बाद उस एरिया के अन्दर जो कीड़े, मकोड़े मच्छर पैदा होकर भंयकर बीमारियां पैदा कर देते हैं उस एरिया में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये क्या आपने वहां पर परमेनेंट साल भर के लिये कोई चिकित्सकों की व्यवस्था की है या करेंगे जिससे उनको मुफ्त में दवाइयां मिल सकें और उनकी रक्षा की जा सके।

इतने ही मेरे सवाल हैं जिनका उत्तर मैं चाहूंगा।

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the people of Karnataka were the worst affeced victims of the heavy rains and floods in two spells, rather in two instalments. The first spell was between the 11th and the 17th of June, and before they could recover from tis disastrous effects, the other spell befell them between the 8th and the 15th of July. I would like to thank the hon.

Prime Minister for having deputed one of his colleagues to assess the damage done to the rural parts of Karnataka, especially in the eight districts i.e. Belgaum, Chikmagalur, Dakshin Kannada, Dharvar, Hasan, Madugu, Shimoga and Uttar Kannada. A huge damage has been done to the public and private property. About 60 people have lost their lives and about 2,000 odd livestocks were destroyed. The State Government has taken some of the major relief work. Due to the financial constraint the work is very slow. They have requested the Centre to rush the relief, especially to restore the communication system, especially the roads. A lot of small bridges and dams have been damaged. I request the Government to rush the best possible relief to the State Government.

There was a request from the State Government for the supply of kerosene for the rural parts of Karnataka where these floods and rains have caused havoc. I request the hon. Minister also to rush the much-needed kerosene to the State.

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) मिस्टर वाइस चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया पिछले साल भी जब फलड आये थे तो पंजाब में बहुत भारी नुकसान हुआ था और ऐसे फ्लड बहुत सालों के बाद आये थे और बेतहाशा आदमी भी मरे, मवेशी भी मरे सड़कें भी टूटी टेलीफोन सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो गया था, रेलवे सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो गया था। इसके अलावा फसलों को इतना नुकसान हुआ कि एक शेर है—मरते को मारे शाह मदार। अभी टेरोरिज्म के जख्म से हम उबरे भी नहीं थे कि इस फ्लड ने लोगों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। आज भी उस फ्लड का साया पंजाब के ऊपर है और कभी किसी इलाके में चले जाइये उनके निशान आज भी आपको मिलते हैं। उनकी तबाही जो हुई वहां की सड़कों की, फसलों की, लोगों को, वहां के मवेशियों को जो नुकसान पहुंचा आज तक उसका मुआवजा जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। मरकती सरकार ने जितना पैसा दिया था पंजाब के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वह बहुत कम था। इस दफा फिर पंजाब में फ्लड आये हैं। अमृतसर जिले में गुरुदासपुर जिले में बहुत से आदमी मारे गये हैं, फसलों को नुकसान हुआ है, बीमारी फैली हुई है मवेशी भी मारे गये हैं। जिसके अलावा रोपड़ में कपूरथला में होशियारपुर में और दरिया के किनारे बेट का इलाका है वहां पर, फजिल्का के गांव हैं उनका खतरा बना हुआ है। दूसरे बांधों को भी आज खतरा का हुआ है। मैं आपकी बसातत से सरकार से यह दर्खास्त करना चाहता हूं कि पंजाब का एक स्पेशल केस है क्योंकि हम 12 साल बर्बादी के दौर से गुजर कर आज तरक्की की मंजिल पर हैं। मैं सरकार से यह दर्खास्त करूंगा कि फ्लड सारे मुल्क में आये हैं. जहां-जहां आये हैं उन लोगों की मदद करनी चाहिए लेकिन पंजाब का एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस को देखते हुए पंजाब की हुकूमत के लिए पंजाब को स्पेशल ग्रांट दीजिए।

श्री रामजी लाल (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय अभी कटारिया जी कह रहे थे कि जब फ्लड आता है तो पंजाब का पानी हरियाणा में चला जाता है। घग्घर नदी जो हरियाणा में बहती है वह पंजाब से होती हुई फिर हरियाणा में आती है। आज हरियाणा के दतिया शहर और जाखल पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं पानी उनके चारों तरफ घम गया है। सिरसा इलाके के पांच-सात गांव पानी में डूब गये हैं और वहां बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में और भी ज्यादा फ्लड आयेगा और वहां और नुकसान होगा। हमारी सरकार ने इसके लिये प्रबन्ध किये थे लेकिन इस साल जितनी भारी बरसात हुई है एक दिन में 20–30 सेंटीमीटर बरसात हुई उसके कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आयी है। यह बाढ़ ऐसा लगता है कि अब और ज्यादा नुकसान करेगी। आदरणीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि 174 जिलों में बारिश अंदाजे में ज्यादा हुई है। कुदरत की बात तो समझ में नहीं आ सकती

लेकिन सरकार को इसके लिये ज्यादा प्रबंध करने चाहिये । इसके लिये पहले से प्रबंध किया जाय । यह बात सही है कि बाढ के लिये जो रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स को देने का वायदा किया जाता है वह पूरा रुपया समय पर उनके पास नहीं पहुंचता । यदि वह पूरा रुपया राज्य सरकारों के पास पहुंच जाय तो स्टेट गवर्नमेंटस इसके लिये प्रबंध कर सकती है । लेकिन जब बाढ़ आती है तो ऐलान ज्यादा होता है और जब बाढ़ चली जाती है तो बाद में ऐलान से कम रुपया पहुंचता है । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करुंगा कि जब बाढ़ज आती है तो बाढ़ आने से पहले इसके लिये पूरा प्रबंध करना चाहिये।

मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 18 जुलाई को केंद्रीय सरकार ने राज्यों की बा की स्थिति की समीक्षा करने के लिये मीटिंग की है तो मैं समझता हूं कि उसमें उचित प्रबंध कर लिया होगा । लेकिन जो नुकसान है वह बहुत ज्यादा है। आपने जो राज्य के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था तो उसमें आपने कुछ आदेश भी दिये होंगे । उड़ीसा, बिहार के पठार हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर में इस साल रिकार्ड बरसात हुई है और हो भी रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार ने अब तक क्या सहायता की है ? जो राज्य सरकारों ने सहायता मांगी है क्या वह दे दी गयी है या नहीं ? किन किन राज्यों में कितनी कितनी आवश्यक वस्तुयें, दवाइया और अन्य सामग्री भेजी गयी है यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऐसे कितने फंसे हुए लोगों को पानी से निकाला और कितने भोजन के पैकेट गिराये ? क्या वह सभी वस्तुयें पहुंचायी गई हैं ? क्या वहां बीमारों के लिये दवाइयां पहुंच रही हैं ? सभी पीड़ितों के लिये दवायें पूरी तरह से पहुंचा दी गई हैं ? कितने लोगों को वहां से निकाला गया है और कितने खाने के पैकेट और दवाइयां पहुंचाई गई हैं ? क्या आपने इन सब बातों का पता लगा लिया है ? क्या वहां कोई भूखा तो नहीं रह रहा है या दवाइयों के बिना पीड़ित तो नहीं है, मैं इन्हीं बातों का स्पष्टीकरण आपके माध्यम से चाहता हूं ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, प्राय: प्रतिवर्ष हम लोग बाढ़ और सूखे के प्रकोप से जो जान-माल की हानि होती है, न केवल उस पर चर्चा करते हैं बल्कि अफसोस भी प्रकट करते हैं और सरकार से हमें यह आश्वासन मिलता है कि हम लोग निश्चित रूप से कोई ऐसी योजना बनायें जिससे हमारे देशवासी इन प्रकोपों से प्रभावित न हों । लेकिन हर साल बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में यहां पर जो वक्तव्य दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ।

महोदय, इसका दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि आज फिर हम लोग बाढ़ से जो जान-माल की हानि हुई है, उस वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं । मैं अपने आपको, मध्य प्रदेश से आने की वजह से, केवल मध्य प्रदेश तक सीमित रखना चाहूंगा । सरकार के आकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिले बाढ़ से प्रभावित है जिसकी वजह से लगभग साढ़े नौ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । और लगभग 1849 गांवों में बाढ़ आई जिसकी वजह से 36 लोग मारे गये और जो घरों का नकसान हुआ, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 23140 घर बरबाद हो गये । इसके अतिरिक्त जो पशुओं की हानि हुई वह करीब 1911 के करीब आंकी गई । यह तो सरकारी आंकड़े थे लेकिन इससे भी ज्यादा हानि हुई है, ऐसा वहां के प्रत्यक्षदर्शी लोगों का अनुमान है । माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक उन स्थानों पर गये, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से जहां बहुत ज्यादा भयानक बाढ़ आई वहां उन्होंने खुद अपनी आंखों से जा कर हाल देखा और निर्देश दिये हैं कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता मुहैया कराई जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए । आगरा और इलाहाबाद से विमान आए उन्होंने बाढ़ में जो लगभग 158 लोग फस गये थे उनको निकाला और लगभग 30 हजार खाने के पेकेट बांटे

[illegible] । यह सरकारी स्तर पर किये गये काम थे । इसके अतिरिक्त वालेंटरी आर्गेनाईजेशन्स, सोशल आर्गेनाइजेशन्स ने भी मदद की है । महत्वपूर्ण पहल यह है कि यह जो जानमाल की हानि हुई है यह तो आंकी गई लेकिन इसके अतिरिक्त रोड बरबाद हो गये, केनाल्ज़ बरबाद हो गईं, उनके बारे में हम लोगों ने कोई भी विचार नहीं किया है । उस हानि को हम लोग कैसे पूरा करेंगे ? जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जानी चाहियें थी, जो बाढ़ आने की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हुई, उसके आफ्टर इफटस अभी भी हो रहे हैं । वहां पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिये । यहां से एक मेडिकल स्पेशलिस्ट्स की टीम जाए और सारी दवाइयां यहां से मुहैया कराई जाएं । वहां पर दवाइयों की सख्त कमी आ गई है । जितनी मांग मध्य प्रदेश सरकार ने की है, वह वित्तीय मदद भी उनको दी जाए । मध्य प्रदेश बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है । अभी तक केवल 14 करोड़ रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से दिये गये हैं और केवल दो इंस्टालमेंट्स दी गई हैं । मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है और विशेष रूप से हमारे कृषि राज्य मंत्री जी से जो न केवल मध्य प्रदेश से आते हैं बल्कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बाढ से लोग बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह राशि उपलब्ध कराई जाए जो मध्य प्रदेश सरकार ने 650 करोड़ रुपए की मांग की है । इसके अतिरिक्त जो भी सुविधायें मध्य प्रदेश सरकार ने मांगी हैं वह सारी सुविधायें केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराई जानी चाहिए । यह तो रही मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात लेकिन मैं इससे आगे बढ़ कर के यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से ऐसी दूरगामी योजना बनाए कि हमारे देशवासी बाढ़ और सूखे के प्रकोप से प्रभावित न हो सकें । इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से हमें ऐसी कोई प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है, केवल मौसम विज्ञान का सहारा लेकर हम नहीं चल सकते हैं, केवल इस बात का ही इज़हार कर के हम संतोष प्रकट नहीं कर सकते कि विभिन्न स्तरों पर हम लोगों ने अलग-अलग लेवल के अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक बुलाई जिसमें यह निर्णय लिए गए । प्रश्न यह है कि उन बैठकों के बाद लोग बाढ़ से प्रभावित होने से मुक्ति पा सके या नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है । इसलिए निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है कि हमारे देशवासी इस प्रकार के प्रकोपों से मुक्ति पा सकें ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to draw the attention of the House to some of the important issues. Actually, before I start, I thank the Prime Minister for sending his emissaries to the flood-affected areas to have first-hand information. But, Sir, the emissaries have come back. The first hand information has been brought to Delhi. The emissaries have satisfied themselves about the damage and the loss that has occurred on the spot. They have made statements' at the State headquarters stating, "Yes, we are satisfied that this much is the loss." When the Prime Minister's emissaries have said that are they satisfied about the damage, when they made an announcement that this was the loss, what is the follow-up action? Nothing. This questions the very credibility of our system and of our functioning. I want to draw the attention of the Minister to the seriousness that the Prime Minister attached to this subject, the seriousness with which the Prime Minister sent his personal emissaries to go to the flood-affected areas and bring the report. If that seriousness is not shown subsequently either by the Ministry of Agriculture or by the Agriculture Department, then, with due respect, I submit that there is something wrong somewhere. Sir, every year, there are floods. This time Karnataka has submitted a memorandum. For the last

two years, we have been submitting memoranda but not a single pei has been given to the State as relief. What is this? How do you satisfy the people? There are floods, there are calamities, there are losses and there are damages. Your team goes to the affected States, brings the report but nothing happens thereafter. I request the Minister to see to this aspect. By simply coming with the statement and by making the clarifications, the matter does not end. Something has to be done further. It we take shelter under the Calamity Relief Fund fixed by the Eighth Finance Commission and say that the Tenth Finance Commission is looking into it, without realising as to what the real position is, that would not help us. Has the Ministry made its recommendations depending on the realities? If it has been decided that 25 per cent of the amount has to be spent by the State and 75 per cent has to be given by the Centre, then why doesn't the Government accept the same norms as are fixed by the Eighth Finance Commission and allow the State Government to spend that much and get that money reimbursed? I do not know what the hitch is. Actually, the Finance Minister was present in the House I wanted the Finance Minister to be present here when I speak so that he can throw some light on these things. Unfortunately, he left the House. The point is, the Eighth Finance Commission has fixed certain criteria according to which 25 per cent expenditure is to be borne by the States and 75 per cent expenditure is to be borne by the Centre. But if the damages are more what should we do? Today, the damage is around Rs. 100 crores. When it is so, let us apply the same formula that 25 per cent expenditure would be borne by the State and 75 per cent expenditure would be borne by the Centre. Why don't you follow this formula? Why don't you allow the States to incur the necessary expenditure so that the relief reaches the people in time and then you can reimburse the money? Why don't you give that clearance? What is the hitch? If there is some hitch, the Ministry concerned, the Planning Commission and the Finance Ministry should remove that hitch among themselves but the people should not suffer. If the people are in distress and if we do not give them the relief in time, it is of no use because justice delayed is justice denied. If it does not reach them in their distress, then it is of no use. It is no use of discussing it in Parliament by making statements or by giving clarifications. I request you to look into the ground reality. Though so many States suffered from floods, only the State of Gujarat got Rs. 50 lakhs because that news was published in the Press. From this, it appears that no other State suffered from floods. How is it that only the State of Gujarat suffered from floods and no other State suffered from it? The floods in the other States were not taken note of. This is not the way of going ahead with it. If the other States do not attract so much attention, at least, you could have sent Rs. 10 lakhs, Rs. 20 lakhs or Rs. 30 lakhs so that the people of those States might feel that there is a Government which is concerned about their distress. But that has not happened. Sir, I have already told you that the Eighth Finance Commission has not set the criteria or norms for the Calamity Relief Fund. The damages caused by the calamity are wrongly calculated. This should be assessed taking into account the realities and there should be certain norms fixed for it. If there is a ratio of 25:75, that ratio should be applied to the damages caused. It should not be a fixed amount. If a limit of Rs. 27 crores is fixed, can we ask Nature to limit its calamity or flood damages within Rs. 27 crores? This is what is happening! If the Agriculture Minister comes and says, "You have got a Calamity Relief Fund, the Eighth Finance Commission has fixed your allocation, this is the limit, you cannot go beyond that and the Tenth Finance Commission is looking into that", till then do we have to order the flood or

the drought situation not to cross the limit, the *Laxman rekha* of Rs. 27 crores in Karnataka or Rs. 35 crores in Madhya Pradesh or Rs. 17 crores in Assam? This will not serve the purpose. So, I request the Agriculture Minrstry that it should be practical and should go before the Finance Commission or the Planning Commission to say that the realities are different, our norms are different. First, scrap the norms. If the Agriculture Minister himself goes to Gujarat and sees the damages caused by the calamity, he would be able to say, "Yes, this should be reimbursed." If the Minister of State for Agriculture goes to Madhya Pradesh and sees the damages, he would be able to given more relief. And then, the people of that State would say, "Yes, the Minister has come. We will get some relief."

Sir, if there are certain norms left over, they should also be included. The crop lost is not included. Some houses have collapsed. Some bridges have collapsed. Bridges and tanks and all other things, you have fixed these within that limit. When there is a unlimited damage—and you are also convinced of it—I only request the Agriculture Ministry that it should be practical. Every year we are discussing; every year we are getting the reply, "There is a Calamity Relief Fund established by the Finance Commission." So, if you cannot order Nature to limit its damages within that Calamity Relief Fund, Sir, you have to change your norms, you have to fight with the Finance Commission and the Planning Commission to get more relief.

And, lastly, I want one more piece of information. What is the demand made by these States? What is the damage caused by the calamity in each State? What is the demand made by them and what is the amount sanctioned by you? That shows the concern of all, the reality and the approach adopted by us. If there is a wide gap, the people of this country will look towards Delhi with high hopes. We have to keep our promises and fulfil the expectations and aspirations of the people.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्षाकालीन सत्र में इस देश में अधिकतर बाढ़ की चर्चा हम लोग करते हैं और कभी-कभी बाढ़ और सूखा पर भी चर्चा करते हैं, यह बात सही है और जैसा कि पिछले हफ्ते इस सदन में बयान दिया गया था पूरे देश में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर और उस पर आधारित माननीय सदस्यों ने कुछ स्पष्टीकरण चाहा है। इस बार जो जुलाई के महीने में करीब-करीब जो बारिश इस देश में हुई है उससे 12,601 गांव पूरे देश में प्रभावित हुए और करीब सवा सात लाख हैक्टेयर जमीन, कृषि जमीन प्रभावित हुई है, उसमें 54 लाख आबादी 5 लाख हैक्टेयर करीब की जो कृषि की उपज थी क्राप डैमेज हुआ है, करीब 1.64 लाख हाउस डैमेज हुए हैं, ह्यूमैन लाईफ लॉस करीब 567 है, कैटल डैडज लॉस 21542 है। इस प्रकार से काफी राज्यों में जो डैमेज हुए हैं वे काफी गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं और इस संबंध में मुख्य बयान में भी बताया गया है।

महोदय, मैं सबसे पहले माननीय हनुमनतप्पा साहब के प्रश्न पर आना चाहूंगा। माननीय हनुमनतप्पा जी का मूल प्रश्न कैलेमिटी रिलीफ फंड का है। महोदय, नौवां वित्त आयोग सभी राज्यों की राय से इस निर्णय पर पहुंचा कि कैलेमिटी रिलीफ फंड का स्वरूप क्या होना चाहिए और हर राज्य के लिए एक फार्मूला हो गया कि कैलेमिटी रिलीफ फंड हर राज्यों के अलग-अलग है। उसी के मुताबिक जब कभी भी ऐसे मौके आते हैं तो उसी की लिमिट के अंदर हम राज्य सरकारों को मदद करते हैं। यह बात नौवें फायनेंस कमीशन में तय हुई है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि राज्य इस नेचुरल कैलेमिटी से प्रभावित नहीं होते तब भी राज्यों को केन्द्र से सहायता मिलती है। यह एक फिक्स फार्मूला है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा डैमेज होता है, पर फार्मूले के हिसाब से मदद कम मिलती है। पर जो एक स्टेंडर्ड फार्मूला फिक्स हो गया है, उसमें मेरे लिए दिक्कत यह है कि मैं उस फार्मूले के बाहर नहीं जा सकता। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक

कहा है, पर अब चूंकि दसवां वित्त आयोग है और उसमें सभी राज्य सरकार इस बात को तय करेंगी कि इस फार्मूले को किस हद से रद्दो-बदल करना है। प्लानिंग कमीशन और फायनेंस मिनिस्ट्री जो भी तय करेंगी, उसको मानना पड़ेगा और हम भी चाहेंगे कि अगर राज्य सरकारों को इसमें कोई दिक्कत है तो निश्चित है कि उनकी तरफ से भी दसवें वित्त आयोग के सामने सुझाव आएगा और जो प्रजेंट कैलेमिटी रिलीफ फंड की स्थिति है, उसमें कहां-कहां रद्दो-बदल होगा, ऐसा न मानकर चलता हूं। तो माननीय हनुमंतप्पा जी का जो मूल प्रश्न है...

*SHRI H. HANUMANTHAPPA: We accept the formula. All the States will accept the formula. I am only requesting the Agriculture Minister, let us go by the formula. The formula is 25 per cent from the State and 75 per cent from the Centre. Let us accept that. But the limit is the bottleneck, i.e. that the calamity should be within Rs. 27 crores or Rs. 35 crores. We accept the formula. Let us go by the formula. But when the damage is more than the limit we cannot talk on the basis of the same formula. Will the Agriculture Ministry accept this formula and go before the Finance Commission? We have seen that the damages are much more than the limit. We cannot ask of flood or of drought to limit the damage within the formula.

SHRI ARVIND NETAM: This is not a question of my Ministry. This is a question of all States, the Planning Commission and the Finance Ministry. They will decide the formula. That is the point.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: We agree to the formula.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED IBTEY RAZI): Yes, you proceed.

श्री अरविन्द नेताम: उपसभाध्यक्ष जी, बहुत-सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। करीब-करीब सभी राज्यों को कलेमिटी रिलीफ फंड से मदद दी गई है। उसके हिस्से के अनुसार भारत सरकार से मदद दी गई है। उसमें बहुत-से राज्यों को तीसरी किस्त है, बहुत-से राज्यों को चौथी किस्त है। चार किस्तों में कलेमिटी रिलीफ फंड को बांटा जाता है और बहुत-से राज्यों को सारी किस्त दे दी गई है। कुछ राज्यों की एक किस्त बाकी है। अगर कोई राज्य मांगेगा तो हमें चौथी किस्त देने में कोई एतराज नहीं है।

श्री सुरेश पचौरी : मंत्री जी, मध्य प्रदेश के बारे में बताइए।

श्री अरविन्द नेताम : सभी राज्यों की इनफार्मेशन मेरे पास नहीं है, पर चाहें तो सभा पटल पर पूरी इनफार्मेशन रख दूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

रामचन्द्रन साहब ने एक प्रश्न किया रिवाल्विंग फंड का।

My answer is that we have got this Calamity Relief Fund. With this system you get immediate relief from the Centre if any calamity occurs.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: I am not talking about the relief fund which you are talking. Sometimes the magnitude of the calamity is so big that you cannot meet the demands within the gamut of the budget. Last year, I suggested generation or constitution of a revolving fund. If you have funds in reserve, at the time of calamity you can immediately rush fund for relief and rescue operations.

SHRI ARVIND NETAM: This is the kind of arrangement which the Government makes through the Calamity Relief Fund. As I said, there will be changes in the structure of the Calamity Relief Fund. Certainly, there will be a change.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो मट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जो मानसून के बारे में उन्होंने कहा, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह जो इंडियन मैट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट है, मानसून के बारे में

पूरी इन्फारमेशन रखता है और स्पेस वार्निंग के लिए एडवांस में पूरी इन्फारमेशन देता है और यह पूरी जानकारी रखता है और धीरे-धीरे इस डिपार्टमेंट में काफी तरक्की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस हिसाब से जो सूचनाएं देश में मिल रही हैं वे काफी सही मिल रही हैं। परन्तु इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई के माह में जो इस ढंग से बारिश हुई है ऐसी बारिश हुई है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्षति होना स्वाभाविक है।

शीला साहब ने भी बहुत से राज्यों खास कर के बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आदि में बीमारियों के बारे में, दवाओं की समस्या के बारे में कहा। जिन राज्यों में ये समस्यायें हैं, उनके बारे में हमारे मिनिस्ट्री में जो कमेटी बनी है रिलीफ कमिश्नर की चेयरमैनशिप में, हम मानिटरिंग करते हैं, सैल अलग से बना है जिसमें हम 24 घंटे मानिटरिंग करते रहते हैं और इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि जहां-जहां बाढ़ आई है वहां खास कर बीमारियों के बारे में हम निगरानी रखते हैं कि बाढ़ के बाद बीमारी तो नहीं है। बीमारी अगर है तो इस संबंध में कोई दिक्कत तो नहीं है। परन्तु मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि जैसे कोई राज्य सरकार नहीं है जिसने बीमारी के बारे में अपनी असमर्थता जाहिर की हो और वह कंट्रोल से बाहर हो। वैसे भी राहत के बारे में सभी राज्य सरकारों से हमारा निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के, जैसा कि माननीय सदस्यों, ने कहा, अलग से केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों में भेजा और खास कर के वहां से रिपोर्ट मंगाई और स्वयं इस बात में रुचि लेकर के कि क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी ली। यह इस बात का द्योतक है कि प्रधान मंत्री जी ऐसे कठिन समय में स्वयं कितना ध्यान रख रहे हैं। मंत्रियों को भेजकर के, रिपोर्ट मंगाकर के जो भी हो सकता है भारत सरकार आगे आने वाले समय में इस संबंध में जो भी मदद कर सकती है, उस पर कुछ न कुछ जरूर विचार करेगी।

कर्नाटक के हमारे माननीय सदस्य ने केरोसीन के बारे में कहा, 3,000 किलोलीटर केरोसीन आयल हमने रिलीज किया है और करीब-करीब 5 करोड़ रुपया केले मिटी रिलीफफंड से हमने रिलीज किया है।

मध्य प्रदेश के बारे में माननीय पचौरी जी ने कहा कि हमने एक किस्त तो रिलीज कर दी, दूसरी किस्त हमने रिलीज तो कर दी पर आई नहीं है, इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वह दूसरी किस्त भी वित्त मंत्रालय से बहुत जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों किस्त एक साथ मांगी थी, इसलिए हम दोनों किस्त एक साथ कर रहे हैं, पर एक के बाद एक कर रहे हैं, जैसी कि प्रक्रिया है। हालांकि मध्य प्रदेश ने करीब-करीब 200 करोड़ रुपया मांगा है पूरी क्षति का... परन्तु जो कैलेमिटी रिलीफ फंड से पैसा गया है, एक बार हमने 6 करोड़ रिलीज किया है, फिर 6 करोड़ रुपया रिलीज करने वाले हैं, यह फाइनेंस कमीशन में पड़ा हुआ है, आशा है जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी पैसा हम भेजे हैं उनमें से सभी राज्यों को हम दे रहे हैं और जो राज्य पूरी किश्त की मांग कर रहे हैं, उन को पूरी किश्त दे रहे हैं। इस प्रकार से जो भी अभी वर्तमान समय में व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हम इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को मदद कर रहे हैं और इस बार सौभाग्य से मंत्रालय की तरफ से जो भी व्यवस्था थी, राज्य सरकारों के साथ कोआर्डिनेशन से काम बहुत अच्छा हुआ है और हो रहा है। जो परिस्थितियों को संभालने में राज्य सरकारों का सहयोग मिला है उस के लिए मैं राज्य सरकारों को धन्यवाद देता हूं। उन के सहयोग से हमने जो सफलता प्राप्त की है उस से ज्यादा जन और धन की क्षति नहीं हुई है। वह इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकारों ने मुस्तैदी से काम किया है और बहुत सी राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है।

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न-उठाए हैं उनका जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है और जो भी इंफार्मेशन, होगी, जैसा कि मैंने कहा है, पूरे राज्यों को कितना कितना दिया है, वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, the demand from the Karnataka Government is for about Rs. 100 crores and the hon. Minister has mentioned that Rs. 5 crores have been released. Is it sufficient to meet the calamities?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I think the hon. Minister has explained the whole case. I don't think it is possible for him to reply in response to each State individually. He has explained what the Government has done under the Calamities Relief Fund... (*Interruptions*) Mr. Minister, would you like to say something?

SHRI ARVIND NETAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, as I said, we have limitations under the Calamities Relief Fund. I journed till 11 A.M. tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-three minutes past five of the clock till eleven of the clock on 3rd August, 1994.